(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी अंराई

मुकाम अराई (अजमेर)

- प्रधान पुत्र मिश्रीलाल जाति जाट आयु 45 साल निवासी ग्राम गोठियाना तहसील अरांई जिला अजमेर राज. ।

–प्रार्थी

बनाम

- उम्मेद सिंह पुत्र हरनाथ सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम गोठियाना तहसील अरांई जिला अजमेर राजस्थान अन्य।

–अप्रार्थीगण।

किस्म मुकदमा– प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 भू.राज.अधि. 1956

नंबर 55 /2024

ऑनलाइन नंबर 2024/.64...

वकील प्रार्थी :– हनुमान प्रसाद शर्मा

वकील अप्रार्थीगण....................

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
02/7/2024	यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी की ओर से वकील प्रार्थी श्री हनुमान प्रसाद शर्मा ने अन्तर्गत धारा 111,128 भू.राज.अधि. 1955 के तहत पेश किया। प्रार्थना पत्र पर वकील प्रार्थी को सुना गया तथा पेश दस्तावेज का अवलोकन किया गया। प्रकरण को दर्ज रजिस्टर किया जावे तथा अप्रार्थीगणों को सम्मन जारी होकर पत्रावली दिनांक 12.07.2024 को पेश हो। [signature] उपखण्ड अधिकारी अराई	
	12/7/24 पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान् उपस्थित। P.O. साहब चुनाव कार्य/राजकार्य/दौरे/अवकाश पर पधारे। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार.......... दिनांक 23/8/24 को पेश हो।	
23/8/24	पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थी उप० अप्रार्थीगण 9, 10 के समन प्राप्त अ. नि.। अप्रार्थी 06, 08, 10, 13 उपस्थित। आप वाद एप्लीकेशन दराखास्त पत्रावली दिनांक 27/9/24 को पेश हो। [signature]	(10) जितन लाल (6) धीसा लाल (13) सूरजपाल (8) रसाला
27/9/24	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान् उपस्थित। P.O. साहब चुनाव कार्य/राजकार्य/दौरे/अवकाश पर पधारे। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार.......... दिनांक 29/11/24 को पेश हो।	

नंबर व तारीख
अहकाम जो
मय हुक्म की तामील
में जारी हुए

0/5/15 पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उपस्थित। 2,3,18,20,21 नोटिस तामील रिपोर्ट प्राप्त। P.O. साहब चुनाव कार्य/राजकार्य/दौरे/अवकाश पर पधारे। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार.............. दिनांक 18/7/15 को पेश हो।

18/7/15 पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उपस्थित। P.O. साहब चुनाव कार्य/राजकार्य/दौरे/अवकाश पर पधारे। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार जवाब दिनांक 12/9/15 को पेश हो।

12/9/15 पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उप०/प्रतिवादी गण 2,3,18,20,21 नोटिस तामील रिपोर्ट प्राप्त। प्रतिवादीगण बावजूद तामील अनुपस्थित। प्रतिवादीगण 2,3,18,20,21 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाती है। पत्रावली दिनांक 10/10/15 को अन्तिम बहस हेतु पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
अरांई (अजमेर)

10/10/15 पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उप०/वकील पक्षकारान की बहस सुनी गई। वादी का वाद स्वीकार किया जाता है। निर्णय पृथक से तैयार किया जाकर शामिल पत्रावली है। पत्रावली फैसल शुमार होकर [illegible] में रख दी।

उपखण्ड अधिकारी
अरांई (अजमेर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अराई (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी श्रीमती नीतू मीना (आर.ए.एस.)

:: राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 55/2024 उनवान प्रधान बनाम उम्मेदसिंह वगैरहः

प्रधान जाट पुत्र श्री मिश्रीलाल जाट जाति जाट आयु 45 साल निवासी ग्राम गोठियाना तहसील अरॉई जिला अजमेर (राज.)

2. सरदार पुत्र श्री मिश्रीलाल जाट जाति जाट आयु 40 साल निवासी ग्राम गोठियाना तहसील अरॉई जिला अजमेर (राज.)

3.मिश्री पुत्र श्री बालू जाट जाति जाट आयु 75 साल निवासी ग्राम गोठियाना तहसील अरॉई जिला अजमेर (राज.)

प्रार्थीगण

बनाम

1श्री उम्मेदसिंह पुत्र श्री हरनाथसिंह जाति राजपूत 7.

2जीवणसिंह पुत्र श्री हरनाथसिंह जाति राजपूत 2.

3श्रीमती किरण कंवर पत्नी श्री जीवणसिंह जाति राजपूत '3.

4श्रीमती सुप्यार कंवर पत्नी श्री उम्मेदसिंह जाति राजपूत अ4.

5श्रीमती कमलेश पुत्री श्री रामकुंवार जाति जाट 5.

6. घीसू पुत्र श्री रामकुंवार जाति जाट

7. बिदाम पुत्री श्री रामकुवार जाति जाट

8. रसाल पुत्री श्री रामकुंवार जाति जाट

9. हुंश्यार पुत्री श्री रामकंवार जाति जाट

10. जतना पुत्र श्री हीरा जाति जाट

11. प्रभूलाल पुत्र श्री रतना जाति जाट

12. भागचन्द पुत्र श्री रतना जाति जाट

13. सुखपाल पुत्र श्री रतना जाति जाट

14. रामधन पुत्र श्री सूवा जाति जाट

15. नाथू पुत्र श्री रंगलाल जाति जाट

16. प्रताप पुत्र श्री रंगलाल जाति जाट

17. रामसिंह पुत्र श्री रंगलाल जाति जाट

18 शिवरतन पुत्र श्री गोपीलाल जाति ब्राह्मण

19. समझकंवर पत्नी श्री सज्जनसिंह जाति राजपूत सर्व निवासीगण ग्राम गोठियाना तहसील अरॉई जिला अजमेर (राज.)

20. वन विभाग जरिये क्षेत्रीय वन अधिकारी, किशनगढ जिला अजमेर

21. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार, अरॉई

अप्रार्थीगण

निर्णय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू.राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय दिनांक 10.10.2024

प्रार्थीगण की और से एक प्रार्थना पत्र अधिवक्ता श्री हनुमान प्रसाद शर्मा एडवोकेट ने अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत पेश किया गया जो बाद जांच रिपोर्ट दिनांक 12.7.2021को दर्ज रजिस्टर दर्ज किया गया । प्रार्थना पत्र में प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता ने जाहिर किया

गण 1 व 2 के कब्जेकाश्त एवं खातेदारी की कृषि भूमि ग्राम गोठियाना पटवार हल्का गोठियाना भू लेख निरीक्षक क्षेत्र आंकोड़िया तहसील अरॉई जिला अजमेर (राज.) में निम्न विवरण की स्थित है:–

ाता संख्या	खसरा नं0	क्षेत्रफल	किस्म
या 688 पुराना 603	1743 / 1576	1.5385 हैक्टेयर	बारानी –2
	01	1.5385 हैक्टेयर	

प्रार्थी संख्या 3 के कब्जे काश्त एवं खातेदारी की निम्न उपरोक्त कृषि भूमि ग्राम गोठियाना पटवार हल्का गोठियाना भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र आंकोड़िया तहसील अरॉई जिला अजमेर (राज.) में निम्न विवरण की स्थित है:–

खाता संख्या	खसरा नं0	क्षेत्रफल	किस्म
नया 690 पुराना 603	1741 / 1576	2.2383 हैक्टेयर	बारानी –2
	01	2.2383 हैक्टेयर	

प्रार्थीगण ने निवेदन किया कि उपरोक्त पेरा संख्या 1 व 2 में वर्णित भूमि से लगती हुई पूर्व दिशा में अप्रार्थी संख्या 19 वन विभाग की भूमि खसरा नम्बर 1611 / 975 स्थित है, पश्चिम दिशा में अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 2 की भूमि खसरा नम्बर 872, अप्रार्थी संख्या 3 लगायत 4 की भूमि खसरा नम्बर 1742 / 1576 एवं अप्रार्थी संख्या 5 लगायत 14 की भूमि खसरा नम्बर 1760 / 875 स्थित है, उत्तर दिशा में अप्रार्थी संख्या 10 लगायत 13 की की भूमि खसरा नम्बर 1609 / 975 स्थित है, दक्षिण दिशा में अप्रार्थी संख्या 15 लगायत 18 की भूमि खसरा नम्बर 1577 / 872 एवं अप्रार्थी संख्या 2 19 की भूमि खसरा नम्बर 1744 / 1576 स्थित है। प्रार्थना पत्र के पेरा 'संख्या 1 व 2 में वर्णित प्रार्थीगण के कब्जे काश्त एवं खातेदारी की कृषि भूमि के अड़ौसी पड़ौसी खातेदारान के मध्य आपसी सीमाओं को लेकर आये दिन सीमा सम्बन्धी विवाद उत्पन्न होता रहता है। प्रार्थीगण के खेत की सीमाओं को अप्रार्थीगण जुताई हंकाई करते समय तोड फोड़ करते रहते है तथा मौके पर विवाद उत्पन्न करते रहते है। अप्रार्थीगण व उनके परिजन प्रार्थीगण से लड़ाई झगड़ा करने पर उतारू रहते है। प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र के पेरा संख्या 1 व 2 में वर्णित कृषि भूमि के चर्तुदिशा में प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण की भूमि के मध्य पत्थरगढ़ी करवाना चाहते है ताकि भविष्य में सीमाओं को लेकर प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण में कोई विवाद पैदा नहीं हो। वाद कारण ग्राम गोठियाना तहसील अरॉई जिला अजमेर (राज.) में दिनांक 10.06. 2024 को उत्पन्न हुआ जब अप्रार्थीगण ने प्रार्थीगण की भूमि की सीमाओं को नष्ट करने का असफल प्रयास किया तथा सीमाज्ञान दिनांक 08.06.2023 को मानने से इन्कार कर देने पर उत्पन्न हुआ तथा वाद कारण तब तब उत्पन्न होता है जब जब अप्रार्थीगण हंकाई जुताई के वक्त सीमाओं को तोड़ फोड़ कर देते है। वाद कारण निरन्तर जारी है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थना पत्र के पेरा संख्या 1 व 2 में वर्णित प्रार्थीगण की ग्राम गोठियाना तहसील अरॉई जिला अजमेर में स्थित भूमि खसरा संख्या 1743 / 1576 एवं 1741 / 1576 की चर्तुसीमा की पत्थरगढ़ी किये जाने के आदेश प्रदान करावे।

प्रकरण दिनांक 2.7.2024 को दर्ज रजिस्टर किया गया तथा सम्मन नोटिस जारी किये गये। दिनांक 23.8.2024 को तामिलशुदा नोटिस प्राप्त हुए । अप्रार्थी संख्या 6,8,10,13 उपस्थित हुए । दिनांक 29. 11.2024 को बावजूद तामिली अनुपस्थित रहने पर अप्रार्थी संख्या 1,4 से 17 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई । दिनांक 12.9.2025 को अप्रार्थी संख्या 2,3,18,20,21 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई । हमारे द्वारा वकील उभयपक्षकारान की बहस सुनी गई अतः उपरोक्त विवेचन व संलग्न दस्तावेजानुसार प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम स्वीकार किया जाता है एवं ग्राम गोठियाना तहसील अरांई, जिला अजमेर राजस्थान स्थित कृषि खसरा संख्या 1743 / 1576एवं खसरा नं0 1741 / 1576 की चर्तुसीमा की का राजस्व रिकार्ड अनुसार मौके पर नाप चौक कर पत्थरगढी करने हेतु तहसीलदार अरांई को कमिश्नर फीस 1000 / –रु अक्षरे एक हजार रूपये मात्र, पर कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि प्रार्थीगण द्वारा कमिश्नर फीस 1000 / – रु जमा करवाने पर वे स्वयं मौके पर उपस्थित रहकर तथा पर्याप्त पुलिस जाप्ता व संसाधन लेकर उक्त वाद ग्रस्त भूमि का राजस्व रिकार्ड के अनुसार पक्षकारान की उपस्थिति में नाप चौक कर पत्थरगढी करें।

आदेश मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 10/10/2025 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षरित किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(नीतू मीना)
उपखण्ड अधिकारी
अराई (अजमेर)